(वाद सं0–3709/4/21/2020)

06.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, अनीता देवी के पति, स्व0 बेचन महतो, के अपने गांव के तालाब में डूबने से हुई मृत्यु के कारण सरकारी नियमानुसार अनुग्रह सहायता की राशि का अबतक भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधुबनी के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के पति, स्व0 बेचन महतो, की पानी में डूबने से हुई मृत्यु से संबंधित अंचलाधिकारी, मधेपुर व अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर के अनुसंशोपरान्त जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा दिनांक–22.12.2021 को मृतक की पत्नी (श्रीमति अनिता देवी) को चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। प्रतिवेदनानुसार अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के उपरांत राशि को अंचलाधिकारी, मधेपुर को आवंटित करना वर्त्तमान में प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी तथा परिवादी को यह भी सूचित किया गया कि अगर उनकी ओर से राज्य आयोग को जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदन के आलोक में प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया जाता है तो राज्य आयोग द्वारा मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा। लेकिन इसके बावजूद भी परिवादी की ओर से वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

अब, जबकि परिवादी के पति की डूबने से हुई मृत्यु पर सरकारी नियमानुसार चार लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि की स्वीकृति संबंधित प्राधिकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक